कार्यालयः—महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
————————।

क्रमांक 7017 टी0आई0—4 2
दिनांक 23.4.14

विषय— अन्तर्राज्जीय मार्गों के संचालन के सम्बन्ध में।

दिनांक 07.02.2014 को माननीय परिवहन मंत्री, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में वाणिज्य अधिकारियों की बैठक के दौरान यह निर्देश दिये गये थे कि 25/—रूपये से कम अर्जित आय वाले अन्तर्राज्जीय मार्गो की बस सेवाओं को बन्द करके उन्हें राज्जीय मार्गो पर संचालित किया जाये। उपरोक्त बारे मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा डिपूओं के निरीक्षण के समय भी सभी महाप्रबन्धकों को इस बारे कहा गया है परन्तु खेद की बात है कि दो माह समाप्त होने के पश्चात भी उक्त मामले बारे की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं करवाया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करवाएं कि दिनांक 07.02.2014 की बैठक के पश्चात अन्तर्राज्जीय मार्गों पर संचालित कितनी बस सेवाओं को बन्द करके राज्जीय मार्गों पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्तर्राज्जीय मार्गों पर संचालित सभी बसों की प्रति कि0मी0 आय तथा उनके संचालन के औचित्य के सम्बन्ध में इस कार्यालय को दिनांक 28—4—2014 तक अवगत करवाएं।

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ
23/4/14